इकाई 10 उपेक्षित बच्चों को समझना

इकाई की रूपरेखा

10.1 प्रस्तावना

10.2 उद्देष्य

10.3 कठिन संदर्भों में बड़े होने की संकल्पना

10.4 गरीबी और बच्चे

10.5 उपेक्षा, सामाजिक बहिष्करण और संवेदनषीलता को समझना

- 10.5.1 दलित
- 10.5.2 मुस्लिम/अल्पसंख्यक
- 10.5.3 जनजातियाँ
- 10.5.4 जेंडर (लिंग) और बालिका षिक्षा

10.6 कठिन संदर्भों में बच्चे

10.7 विद्यालय और उपेक्षित बच्चे

- 10.7.1 मुख्य नीतियाँ और कार्यक्रम

10.8 अध्यापक की भूमिका

- 10.8.1 एक अकेले बच्चे अथवा बच्चों के समूह को समझना
- 10.8.2 विद्यालय का परिवेष, आचार और अधिगम
- 10.8.3 माता–पिता और समुदाय के साथ काम करना
- 10.8.4 पात्रता और एकीकृत दृष्टिकोण

10.9 सारांष

10.10 इकाई के अंत में अभ्यास

10.11 बोध प्रष्नों के उत्तर

10.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

10.1 प्रस्तावना

बड़े होने का अनुभव विभिन्न बच्चों के लिए अलग–अलग हो सकता है। पिछली इकाइयों में हम चर्चा कर चुके हैं कि बच्चे के संदर्भ में अनेकों ऐसे परिवर्तनीय (परिवर्ती) कारक होते हैं जो बच्चे द्वारा अनुभव किए जाने वाले उसके बाल्यावस्था के स्वरूप को तथा साथ ही साथ उसके विकास के विविध पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास, दोनों को पर्याप्त रूप से प्रभावित करते हैं। यद्यपि बच्चों के बहुत से सकारात्मक अनुभव होते हैं, परंतु उपयुक्त रूप से बाल्यावस्था की रुमानी धारणा पर केवल कुछ ही बच्चों का विशेषाधिकार रहता है। यह हमारे जैसे समाज के लिए तो विशेष रूप से सच है क्योंकि हमारे समाज का सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के आधार पर अत्यधिक स्तरीकरण किया गया है और इसमें कड़ी विषमताएँ और भेदभावपूर्ण परंपराएँ विद्यमान हैं, जहाँ व्यवस्था द्वारा प्राप्त होने वाली सुरक्षा की मात्रा बहुत कम है।

आगे बढ़ने से पहले, निम्नलिखित तीन स्थितियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए:

सांद्रा 12 साल की है, वह एक दूरस्थ गाँव में रहती है। गाँव के विद्यालय में उसका नामांकन किया गया है परंतु वह कभी–कभार ही विद्यालय जा पाती है क्योंकि उसका

विद्यालय बहुत दूर है। सांद्रा के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता ने किसी दूसरे के साथ विवाह कर लिया है। पारिवारिक हिंसा और अपने सौतेले पिता के बुरे व्यवहार के कारण उसने अपना घर छोड़ दिया और 11 वर्ष की आयु में गलियों में घूमने वाली लड़की बन गई। उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी।

ज़ाकिर की आयु 11 वर्ष है और वह अपने सात छोटे भाई और बहनों में सबसे बड़ा है। ज़ाकिर के पिता बढ़ई हैं। उनकी बीमारी के कारण वह नियमित रूप से अपने विद्यालय जाने में समर्थ नहीं है। इसलिए उसके माता–पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी है और वह पास की एक दुकान पर सेल्समेन का काम करता है। यद्यपि वह पढ़ाई करना चाहता है लेकिन परिस्थितियों ने उसे पढ़ाई छोड़ देने के लिए बाध्य किया है।

जूमा गाँव के एक दूरस्थ कोने में रहता है। उसका समुदाय मुख्य गाँव से थोड़ी–सी दूरी पर है। जूमा अत्यधिक पिछड़ी जाति से संबंधित है और अन्य ग्रामवासी उससे या उसके समुदाय के सदस्यों से मिलना पसंद नहीं करते। यही हाल विद्यालय में भी है। वहाँ भी बच्चे जूमा को अपने खेल में शामिल नहीं करते। अध्यापक को यह व्यवहार अनुचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि उसके विचार से जूमा का कक्षा के अन्य बच्चों से दूर बैठना बिल्कुल स्वाभाविक है। अध्यापक जूमा पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देता और विद्यालय की छुट्टी होने पर उसे अनिवार्य रूप से कक्षा की सफाई करने के लिए कहता है। जूमा के घर के इर्द गिर्द का इलाका दलदली (पानी से भरा) है और ग्रामवासी अपना अधिकांष कूड़ा–करकट उस दलदल में फैंकते हैं। जूमा को मलेरिया हो गया और उसके पेट में ऐंठन होती है। जूमा और उसका परिवार न तो चिकित्सक के पास जा सकते हैं और न ही स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध होने वाली चिकित्सा सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि स्वास्थ्य केन्द्र गाँव के बीच में स्थित है जहाँ उच्च जाति के लोग रहते हैं और इसके अलावा यदि वे स्वास्थ्य केन्द्र जाते भी हैं तो निरपवाद रूप से या तो परिचारिका वहाँ नहीं मिलती या वहाँ पर दवाइयाँ नहीं होती।

क्रियाकलाप I

ऊपर दिए गए तीन उदाहरणों से तीनों बच्चों की पाँच मुख्य समस्याओं की सूची बनाइए और बताइए कि ये समस्याएँ बच्चे के विकास के विविध पहलुओं को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

अध्यापक के रूप में अपने जीवन में अथवा अन्यथा भी आपका सांद्रा, जूमा और ज़ाकिर जैसे कई बच्चों से आमना–सामना हुआ होगा। ये तीनों उदाहरण हमारे देष में ऐसी ही स्थितियों का सामना कर रहे अनेकों बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि, हमारे देष ने भारी आर्थिक प्रगति की है और अनेकों सुविधाओं में सुधार आया है परंतु फिर भी हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी और अलग–थलग स्थिति में रहता है। इन तीनों मामलों का विश्लेषण करते समय आपने महसूस किया होगा कि तीनों बच्चों को प्रभावित करने वाले कारण निस्संदेह गरीबी से संबंधित हैं परंतु इनमें जेंडर (लिंग) और सामाजिक भेदभाव अथवा मूलभूत सेवाओं का अभाव जैसे अन्य कई कारक भी शामिल हैं।

अध्यापक के रूप में आपके लिए उस संदर्भ को समझना अनिवार्य है जहां से आपके विद्यार्थी आते हैं और यह समझना भी अत्यावष्यक है कि कक्षा उनको पढ़ने की प्रेरणा दे सके। इसके लिए आपको क्या चाहिए? अगले भागों में आप उन सामाजिक स्थितियों के बारे में जानेंगे जो कुछ बच्चों को शैक्षिक अवसर प्राप्त करने में बाधक सिद्ध होती हैं।

10.2 उद्देष्य

इस इकाई में उन बच्चों के शैक्षिक सरोकारों का संक्षिप्त वर्णन उपलब्ध कराया गया है जो षिक्षा की मुख्यधारा से या तो उनके सामाजिक संदर्भ के कारण, या अन्य कारकों से लंबे समय से बहिष्कृत किए गए हैं और ऐसे बच्चों की शैक्षिक आवष्यकताओं के प्रति संवेदनषील होने के लिए भी तरीके सुझाए गए हैं। इस इकाई को पढ़ने के उपरान्त आपः

- कठिन संदर्भ का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे;
- विभिन्न प्रकार के उन कठिन संदर्भों की पहचान कर सकेंगे जिनमें बच्चे बड़े होते हैं;
- गरीबी, उपेक्षा और सामाजिक बहिष्करण की संकल्पना को स्पष्ट कर सकेंगे और उनके बीच संबंध की विवेचना कर सकेंगे;
- विविध कठिन संदर्भों से बच्चों की आवष्यकताओं की चर्चा कर सकेंगे;
- ऐसे तरीकों का वर्णन कर सकेंगे जिनसे विद्यालय, अध्यापक और कल्याण योजनाएँ कठिन संदर्भों से आने वाले बच्चों में षिक्षा को प्रोत्साहित कर सकने में सहायता कर सकें।

10.3 कठिन संदर्भों में बड़े होने की संकल्पना

विभिन्न संदर्भों में बड़े होने के प्रभाव की, तथा बच्चों द्वारा शैक्षिक सुविधाएँ प्राप्त करने की चर्चा करने से पहले, यह आवष्यक है कि हम उन विभिन्न प्रकार के संदर्भों का अर्थ समझें और उन्हें पहचान सकें जिनमें बच्चे बड़े होते हैं। ऐसे अनेक संदर्भ होते हैं, जिनमें अस्तित्व बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो सकता है और इसलिए उन संदर्भों को कठिन संदर्भ कहा जा सकता है। सड़कों पर रहने वाले (घूमंतू) बच्चे, घर से भागे बच्चे, किषोर अपराधी, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे, तनावग्रस्त क्षेत्रों में आने वाले बच्चे, भूकंप, गैस त्रासदी, बाढ़, दंगों आदि जैसी आपदा स्थितियों में जीवित बचे बच्चे आदि सभी कठिन परिस्थितियों में बड़े हो रहे बच्चों की श्रेणी में आते हैं। हम समझ सकते हैं कि उनकी शैक्षिक आवष्यकताएँ अन्य बच्चों से बहुत अलग होती हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी षिक्षा योजना हो जिसमें ऐसे बच्चों की विशेष आवष्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाए।

बोध प्रश्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1) क्या आप अपने क्षेत्र में ऐसे बच्चों की पहचान कर सकते हैं जो कठिन संदर्भों में रह रहे हैं?

....

....

....

....

....

....

2) क्या आपके विचार से शैक्षिक अवसरों तक पहुँच उपलब्ध कराना उनकी गुणवत्तापूर्ण षिक्षा के लिए पर्याप्त है?

....

....

....

....

....

....

3) क्या आप कुछ ऐसी षिक्षा कार्यनीतियों के बारे में सोच सकते हैं जो उनकी षिक्षा संबंधी विशिष्ट आवष्यकताओं को पूरा कर सकें?

....

....

....

....

....

10.4 गरीबी और बच्चे

गरीबी प्रायः परिवार की आय से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, परंतु इसमें आय के अलावा अन्य कई और पहलू भी शामिल हैं। गरीबी एक बहुमुखी यथार्थ है जिसमें निम्न आय के अतिरिक्त कई संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं जैसे जल, आश्रय, षिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं से वंचित रहना, इसमें गुणवत्ता या जीवन में गुणवत्ता का अभाव आता है। गरीबी वह मुख्य कारण है जिससे बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होता है।

चित्र 10.1: गरीबी और बच्चे

गरीबी बच्चे के जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त रहती है और यह काफी हद तक बच्चे की बाल्यावस्था में उसके अनुभवों और अवसरों का निर्धारण करती है। गरीबी बच्चे को शोषण, दुरूपयोग, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य और षिक्षा के वंचन के प्रति संवेदनषील बनाती है और इस प्रकार हर प्रकार से बच्चे के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। दुर्भाग्यवष, जब तक समाज द्वारा उपयुक्त अंतःक्षेप (interventions) नहीं किए जाएँगे तब तक, गरीबी एक दुष्चक्र बनी रहेगी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती रहेगी। उदाहरण के लिए "निर्धन", कुपोषित माताएँ अक्सर कम–भार वाले बच्चों को जन्म देती हैं। इन बच्चों की मृत्यु होने की काफी संभावना रहती है, और यदि वे बच भी जाएँ तो उनकी उचित वृद्धि की और अपनी पूर्ण क्षमता तक विकसित होने की संभावना कम ही रहती है। चिरकालिक कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों और बार–बार बीमार पड़ने के कारण वे बच्चे विद्यालय में अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप, इन समस्याओं से प्रभावित बच्चों के बारे में यह संभावना अधिक रहती है कि वे जल्दी ही पढ़ाई और विद्यालय छोड़ देंगे और अगर वे काम ढूँढ़ पाए तो गरीबी रेखा से नीचे के व्यवसायों में काम करने लगेंगे। (यूनिसेफ http://www.unicef.org/why/why_poverty .html)

क्या आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे बच्चे कौन हैं जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते? वे बच्चे कौन हैं जो बीच में ही पढ़ाई और विद्यालय छोड़ देते हैं? और वे कौन हैं जो अपने अध्ययन में पिछड़ जाते हैं?

जब आप इन बच्चों का निर्धारण करने लगेंगे तो अनुभव करेंगे कि सांद्रा, ज़ाकिर और जूमा की तरह गरीबी और कम आय बच्चों के विद्यालय न आने का एक कारण है और ऐसे कई अन्य कारक हैं जो गरीबी से अंतःसंबंधित हैं (गरीबी और वे अन्य कारक आपस में जुड़े हैं) और बच्चों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अगले भाग में हम इन कारकों को विस्तार से समझेंगे।

10.5 उपेक्षा, सामाजिक बहिष्करण और संवेदनषीलता को समझना

उपेक्षा, भेदभाव और संवेदनषीलता के मुद्दे यद्यपि गरीबी के मुद्दे से संबंधित हैं परंतु इनको अपने–अपने अलग रूप में समझना भी आवष्यक है क्योंकि ये अक्सर गरीबी का कारण और परिणाम दोनों होते हैं। लेकिन यही नहीं कभी–कभी तो ये गरीबी से मुक्त होते हुए भी व्यक्तिगत अधिकारों और अवसरों को प्रभावित करते हैं।

उपेक्षा एक बहु–स्तरीय संकल्पना है। यह अनिवार्य रूप से उन लोगों की ओर संकेत करती हैं जो अनेक कारकों के कारण समाज के हाषिए की ओर धकेले जाते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि हाषिए की ओर धकेले गए इन लोगों को शासन, निर्णयन और प्रतिनिधित्व की मुख्यधारा संबंधी गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता। ये भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, षिक्षा, सुरक्षा और न्याय जैसी मूल सेवाएँ भी प्राप्त नहीं कर पाते या इन्हें प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि "*यह उत्पादक गतिविधि और/या सामाजिक पुनरुत्पादक गतिविधि की मुख्यधारा से बाहर होना है*"" (पीटर लियोनार्ड, 1984, पृ. 180)।

हाषिए पर (उपेक्षित) कौन हैं? परिस्थितियों और कारकों के अंतःसंबंध से यह निर्धारित होता है कि कौन लोग **उपेक्षित** किए गए हैं। ये लोग कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, लोगों का समूह हो सकता है या कोई समुदाय अथवा एक समूचा क्षेत्र या राष्ट्र हो सकता है। ये समुदाय के अंतर्गत कुछ परिवार अथवा कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। उपेक्षित किए गए लोगों का मुद्दा अक्सर लिंग, आयु अथवा मानसिक और शारीरिक अक्षमताओं जैसे मुद्दों से भी जुड़ा होता है।

उदाहरणः सामाजिक श्रेणियाँ और विद्यालय न जाने वाले बच्चे

विद्यालय न जाने वाले बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि दर्षाती है कि 9.97 प्रतिषत मुस्लिम बच्चे, 9.54 प्रतिषत अनुसूचित जनजातियों के बच्चे, 8.17 प्रतिषत अनुसूचित जातियों के बच्चे और 6.97 प्रतिषत अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे।

ऐसे बच्चों की बहुत बड़ी संख्या (68.7 प्रतिषत) पाँच राज्यों बिहार (23.6 प्रतिषत), उत्तर प्रदेष (22.2 प्रतिषत), पष्चिम बंगाल (9 प्रतिषत), मध्य प्रदेष (8 प्रतिषत) और राजस्थान (5.9 प्रतिषत) में केन्द्रित थी।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–2012, योजना आयोग, भारत सरकार)

यूनीसेफ के अनुसार "**बहिष्करण बहुआयामी है और इसमें आर्थिक, सामाजिक, लिंगीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों का वंचन शामिल है जो बहिष्करण को भौतिक गरीबी से कहीं अधिक व्यापक संकल्पना बनाता है। बहिष्करण की संकल्पना में प्रबल करने वाले सामाजिक–राजनीतिक कारक शामिल हैं जो समाज के अंदर भेदभाव और अहित का आधार हैं और इसके लिए वंचन के पीछे छिपे कारकों और प्रक्रियाओं पर कड़ा ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है ताकि अवसर की समानता और समावेष की गारंटी दी जा सके। अन्य बच्चों की तुलना में वे बच्चे बहिष्कृत माने जाते हैं जिन्हें ऐसा परिवेष न मिलने का खतरा होता है जो उनकी हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा कर सकें या यदि उन्हें अनिवार्य सेवाएँ और वस्तुएँ सुलभ न हो पाएँ जो एक तरह से भविष्य में समाज में पूरी तरह से भाग ले पाने की उनकी क्षमता के लिए खतरा उत्पन्न करे। बच्चे अपने परिवार, समुदाय, सरकार, शिष्ट समाज, संचार माध्यम, निजी क्षेत्र और अन्य बच्चों द्वारा बहिष्कृत किए जा सकते हैं।**"

भारत में सामाजिक बहिष्कार कई भिन्न तरीकों से किया जाता है। बहिष्करण के तीन मुख्य निर्धारक **जाति, धर्म और लिंग** होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में बहिष्करण की गंभीरता में अंतर पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जाति का मुद्दा शायद एक बड़े महानगर में इतना ध्यान आकर्षित करने वाला न हो जितना कि एक गाँव में। इसी प्रकार लिंग आधारित भेदभाव में दो राज्यों के बीच अंतर देखा जा सकता है जैसे केरल और बिहार, उत्तर प्रदेष या हरियाणा। आइए, यह समझने का प्रयास करें कि हमारे देष में बहिष्करण की कुछ सामाजिक श्रेणियाँ खास तौर से बच्चों और उनकी षिक्षा के संदर्भ में किस प्रकार प्रकट होती हैं। भेदभाव की संकल्पना एक तरह से सामाजिक बहिष्करण से परस्पर जुड़ी हुई है। भेदभाव का अर्थ है कि किसी व्यक्ति, परिवार या एक समुदाय के साथ उसकी पृष्ठभूमि जैसे जाति, लिंग, धर्म या जातीयता के कारण अनुचित या पूर्वग्रह युक्त व्यवहार किया जाना है। जाति और भेदभाव का मुद्दा अपनी ऐतिहासिकता के कारण सर्वव्यापी है और यह हमारे देष में एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है। जाति पर आधारित भेदभाव कई स्तरों पर सक्रिय है, और सबसे पहले तो यह जन्म से ही व्यक्ति की पहचान का निर्धारण करने लगता है तथा बच्चा इस तथ्य को अपनी आत्म–संकल्पना में जिंदगी की एकदम शुरुआत में ही आत्मसात करने लगता है। दूसरे स्तर पर जाति और वर्ग आधारित सोपानक्रम (heirarchy) और संबंधित शक्ति संबंध काफी हद तक यह निर्धारित करते हैं कि कोई परिवार विभिन्न सुविधाओं और अधिकारों को कहाँ तक प्राप्त कर सकता है। किसी नियत समुदाय में नीची जाति के परिवारों को सर्वाधिक उपेक्षित किया जाना और भेदभाव पूर्ण व्यवहार का षिकार होता हुआ देखा जाना एक आम बात है (झा और झींगरन, 2002)।

आइए, कुछ ऐसे सामान्य समूहों की जानकारी प्राप्त करें जिनका हमारे समाज में बहिष्करण किया जाता है और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है।

10.5.1 दलित

भारत में सदियों से मजबूत हुए पूर्वग्रहों के साथ जाति आधारित स्तरीकरण, दलितों के जीवन के सभी पहलुओं में उनकी सहभागिता को प्रभावित करता रहा है। दलितों को अछूतों के रूप में अनेकों सामुदायिक गतिविधियों से बहिष्कृत किया जाता था और वे गाँवों में केवल भौतिक रूप से ही अलग नहीं रखे जाते थे बल्कि उन पर पूरी पाबंदी रखी जाती थी और बाद में तो मंदिरों, सामान्य बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर घुसने से भी उन्हें वर्जित कर दिया गया था। आज भी दलितों के घरों का गाँव से दूर एक कोने में स्थित होना अथवा एक दलित बच्चे को कक्षा में मुख्य समूह से दूर बैठाया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। दलित सदियों से षिक्षा से बहिष्कृत किए जाते रहे हैं और स्वतंत्रता के पष्चात समान अधिकार दिए जाने के बावजूद अन्य समूहों से काफी पीछे रह गए हैं। उनके आवास समूह अक्सर ऐसी जगह होते हैं, जहाँ पहुँच पाना और सुविधाएँ प्राप्त कर पाना अत्यधिक कठिन होता है। इस भौतिक अलगाव के कारण बच्चों का विद्यालय पहुँच पाना बुरी तरह से प्रभावित होता है और विद्यालय यदि दलित बस्ती में ही स्थित हों तभी वे पढ़ने जा पाते हैं। बच्चों को विद्यालय जाने के लिए बहुत दूर तक पैदल चल कर जाना पड़ता है और कभी–कभी तो उन्हें कई भौतिक गतिरोध पार करने पड़ते हैं जैसे नदियाँ और ऊँची जाति के लोगों के आवास–स्थल जहाँ से निकलने पर उन्हें उनके गुस्से का सामना करना पड़ता है। (झा और झींगरन, 2002)।

क्रियाकलाप II

एक सप्ताह अथवा उससे पहले का एक स्थानीय समाचारपत्र पढ़िए और उन समाचारों की पहचान कीजिए जिनमें दलितों के विरुद्ध भेदभाव की बात की गई हो। समाचार की समीक्षा कीजिए और इस भेदभाव के कुछ संभावित कारणों का पता लगाइए।

....

....

....

....

....

....

10.5.2 मुस्लिम/अल्पसंख्यक

यद्यपि, विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट अंतर पाए जा सकते हैं पर सामान्यतः मुस्लिम आबादी का बड़ा प्रतिषत आर्थिक रूप से पिछड़ा और सामाजिक रूप से उपेक्षित रहता है। मुस्लिम लोग लघु उद्योगों, कौषल आधारित षिल्प कलाओं अथवा छोटे–मोटे कामों में संलग्न रहते आए हैं। वैष्वीकरण के साथ उनके उत्पादन को धक्का पहुँचा है, जिसके कारण मुस्लिम षिल्पकारों को भी अन्य षिल्पकारों की तरह नुकसान हुआ है। इसके अलावा, मुसलमानों के विरुद्ध सषक्त पूर्वग्रह और धारणाओं तथा उनको उत्पादक और नागरिक गतिविधियों में समाविष्ट करने की समाज की अक्षमता के कारण वे सामाजिक रूप से बहिष्कृत रहते आए हैं। इस समुदाय द्वारा कुछ विष्वासों और परंपराओं का पालन किए

जाने से भी मुस्लिम बच्चों की षिक्षा पर प्रभाव पड़ता है जैसे मदरसा आधारित षिक्षा को वरीयता दिया जाना, लड़कियों को विद्यालय भेजने में हिचकिचाहट और यह सोच कि औपचारिक विद्यालयी षिक्षा से कोई लाभ नहीं होता। कुछ समुदाय विशेष वेशभूषा अपनाते हैं जो अल्पसंख्यकों के रूप में उनकी विशिष्ट पहचान को प्रदर्षित करती है।

10.5.3 जनजातियाँ

जनजातियाँ एक और समूह है जो उपेक्षित रहता है। पारंपरिक रूप से आदिवासी, वनवासी या जनजातियाँ कहे जाने वाले ये लोग भारतीय जनसंख्या के लगभग 8 प्रतिषत हैं (भारतीय षिक्षा रिपोर्ट, 2002)। जनजातीय लोग कबीलों में रहते हैं जो भारत के सुदूर क्षेत्रों में स्थित हैं और जिनकी संस्कृति, जीने का तरीका और भाषा विशिष्ट है।

भाषा का मुद्दा जनजातीय बच्चों के संबंध में अत्यंत संवेदनषील होता है क्योंकि घर की भाषा विद्यालय की भाषा से निरपवाद रूप से अलग होती है जिससे विद्यालय में तालमेल कठिन हो जाता है।

प्रारंभिक षिक्षा स्तर पर विद्यालय छोड़ देने की दर अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में सबसे अधिक है और इनके पष्चात अनुसूचित जातियों की लड़कियों की संख्या है। लड़कियों की षिक्षा को कई मुद्दे प्रभावित करते हैं, खास तौर से जैसे–जैसे वे बड़ी होती हैं। अगले भाग में हम लिंग और लड़कियों की षिक्षा से संबंधित कुछ मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे।

10.5.4 लिंग और लड़कियों का बहिष्करण

लिंग एक व्यापक कारक है। शहरी, उच्च जाति की महिलाओं और लड़कियों के छोटे से प्रतिषत के अलावा बाकी लड़कियाँ विभिन्न जाति, वर्ग और धर्म में बहिष्करण और भेदभाव के विभिन्न रूपों का अनुभव करती हैं। भारत में निम्न सामाजिक और आर्थिक समूहों की लड़कियाँ अधिक संवेदनषील होती हैं और इसलिए उन्हीं को हमेषा गरीबी अथवा सामाजिक प्रतिबंधों से उत्पन्न होने वाली हानियों का दंष झेलना पड़ता है। इन सामाजिक प्रतिबंधों में जाति और धर्म भी शामिल हैं। यहाँ यह बताना भी आवष्यक है कि यद्यपि सभी सामाजिक और आर्थिक समूहों में लड़कों के पक्ष में लिंगभेद विद्यमान हैं परंतु इस विषमता का स्तर अधिक गरीब समूहों के लिए उन लोगों की तुलना में अधिक है जो गरीब नहीं हैं और उच्च जातियों की तुलना में दलितों, जनजातियों, मुस्लिमों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए भी अधिक है। इसके फलस्वरूप सामाजिक रूप से उपेक्षित मौजूद समूह जैसे दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समूहों की लड़कियाँ, जो अत्यधिक गरीब परिवारों से हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रहती हैं, सर्वाधिक वंचित शैक्षिक समूह बन जाती हैं। इसी के साथ यह फिर से बताना भी आवष्यक है कि सभी स्थितियों और समूहों में जिनमें वे उच्च जातियाँ भी शामिल हैं जो गरीब नहीं हैं और वे लोग भी शामिल हैं जो विकसित क्षेत्रों में रहते हैं, लड़कियाँ तुलनात्मक रूप में लड़कों की अपेक्षा बदतर स्थिति में हैं।

भारत में लड़कियों की स्थिति लड़कों की अपेक्षा निम्न है। इसके लिए उत्तरदायी कारण रोजमर्रा के व्यावहारिक स्तर और लिंगभेद के व्यापक और मूल मुद्दे दोनों के आस–पास पाए जा सकते हैं जिनकी जड़े अत्यधिक पारंपरिक और पितृसत्तात्मक समाज में जमी हुई हैं। हमारे समाज में लड़कियों को सौंपी गई विशिष्ट लिंग भूमिकाएँ जैसे घर के कामकाज करना और छोटे भाई–बहनों की देखभाल करना भी लड़कियों को उपेक्षित रखने में योगदान देते हैं। इनमें से कुछ मुद्दों को यहाँ चित्र के रूप में संक्षेप में दर्षाया गया है।

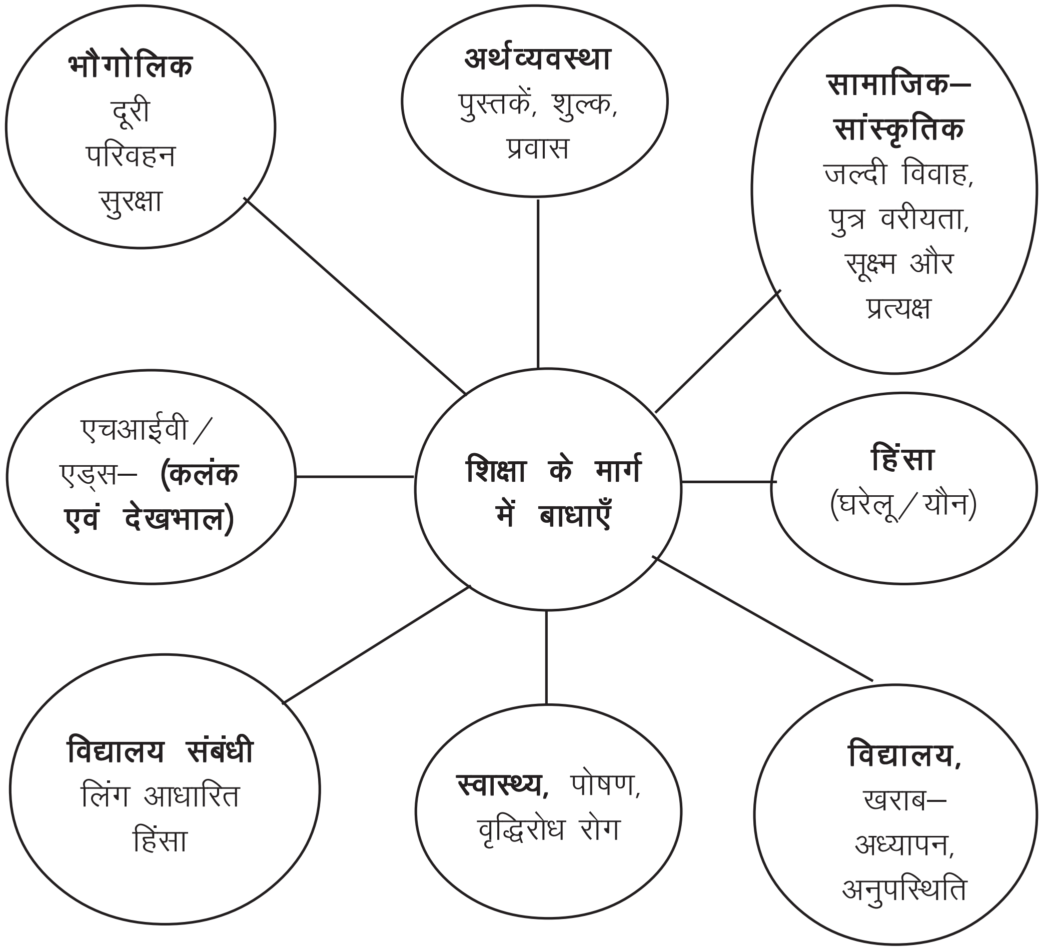

चित्र 10.2: शिक्षा के मार्ग में बाधाएँ

स्रोतः यह चित्रः रामचंद्रन विमला, *टूवर्ड्स जेंडर इक्वेलिटी इन एजुकेषन* से उद्धृत है। (एजुकेषन फॉर ऑल मिड टर्म असेसमेंट) एन. यू. ई. पी. ए., दिल्ली 2009,
http://www.educationforallininida.com/towards-gender-equality-in-education.pdf

10.6 कठिन संदर्भों में बच्चे

जाति और लिंग का विषय एक पक्ष है यद्यपि यहाँ पर बहुत से दूसरे पक्ष भी हैं जो उपेक्षित बच्चों पर प्रभाव डालते हैं। ये बच्चे विभिन्न दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में पाये जाते हैं।

संघर्ष और विरोध की स्थिति में बच्चेः दुनिया भर में अनेकों बच्चे युद्धों और आंतरिक संघर्षों के कारण प्रभावित होते रहे हैं। पिछले दषक के दौरान होने वाले दीर्घ संघर्षों के कारण 20 लाख से अधिक बच्चे मर गए। इनमें से अधिकतर संघर्ष अपनी पूर्ववर्ती ऐतिहासिक असमानताओं और सामाजिक विरोधों से संबंधित थे, और उन शोषक उपनिवेषी और उपनिवेषोत्तर शासनों द्वारा इन्हें बल प्रदान किया गया था जो प्रभावषाली रूप से शासन कर पाने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को दोबारा प्रारम्भ कर पाने में असफल रहे थे। समूहों के दीर्घकालिक बहिष्करण और उपेक्षित किए जाने और इसके साथ संसाधान–सम्पन्न भूगोलों और छोटे हथियारों की सुगम उपलब्धता ने मिलकर ऐसे संघर्षों को जन्म दिया जो अनेकों वर्षों तक चलते रहे। इन कठिन परिदृष्यों में अनेकों बच्चे फँस जाते हैं और बहुत से सिपाहियों के रूप में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिए जाते हैं। उदाहरणार्थ, भारत में उत्तर–पूर्व और जम्मू–कष्मीर के संघर्षपूर्ण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे भारी हिंसा और मानव एवं बाल अधिकारों का उल्लंघन होता हुआ देखने के साक्षी हैं।

दीर्घकालिक संघर्ष और विरोध की स्थितियों में रहने–पलने वाले बच्चे कुछ अत्यंत भयानक और मानसिक आघातों के अनुभवों का सामना करते हैं। बच्चों के प्रति की जाने वाली हिंसा,

खासतौर पर लड़कियों के प्रति यौन उत्पीड़न, बच्चों को सिपाहियों के रूप में बलात भर्ती करना, तथा घर और परिवार की क्षति (से वियोग) बहुत सामान्य बात हैं। भाग्यवष भारत में यह परिघटना विरल है परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ निरंतर चलने वाले संघर्ष या विरोधों के कारण बच्चे कई तरीकों से प्रभावित हुए हैं, जिसमें विद्यालयी पढ़ाई में व्यवधान पड़ना भी शामिल है। हिंसा और संघर्ष का बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एवं षिक्षा पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ता है।

श्रम की स्थितियों में बच्चे (बाल मजदूर): कानून के अनुसार भारत में बाल मजदूरी प्रतिबंधित है तथापि यह व्यापक रूप से प्रचलित है। ऐसे अनेक कारण हैं, जिनकी वजह से बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है और वे परस्पर जुड़े हुए हैं। गरीबी निष्चय ही एक मूल कारण है जो बच्चों को काम करने के लिए बाध्य करती हैं, परंतु यह भी निरंतर प्रमाणित होता है कि बच्चे इसलिए विद्यालय पढ़ने जाना छोड़ देते हैं और काम करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें विद्यालय अरुचिकर प्रतीत होता है तथा विद्यालयों की सुनिष्चित रूप से अध्ययन कराए जाने की अक्षमता बच्चों द्वारा विद्यालय छोड़ देने का एक प्रमुख कारण बन जाती है। इसके अलावा बच्चे विद्यालय में जिस भेदभाव और दुर्व्यवहार का अनुभव करते हैं, वह भी विद्यालय छोड़ने का एक बड़ा कारण है। बाल मजदूरी बच्चों के अनेकों अधिकारों के उल्लंघन की एक ठोस अभिव्यक्ति है और इसे भारत में एक गंभीर और अत्यंत जटिल सामाजिक समस्या के रूप में माना जाता है। कामकाजी बच्चों को उनके बहुत से अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है जैसे उत्तरजीवितता (survival) और विकास, षिक्षा, अवकाष और खेल, जीवन का उचित स्तर, व्यक्तित्व विकास, प्रतिभा, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए अवसर तथा दुर्व्यवहार और उपेक्षा से सुरक्षा के अधिकार। प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में बढ़ोतरी और सन् 1980 के दषक से साक्षरता दर में वृद्धि के बावजूद बाल मजदूरी भारत में एक महत्वपूर्ण तथ्य बना हुआ है। भारत की सन् 2001 की जनगणना के अनुसार, उस समय भारत में 122.6 लाख कामकाजी बच्चे थे जो 5 से 14 वर्ष के आयु समूह के थे जबकि इसकी तुलना में सन् 1991 में यह संख्या 113 लाख थी जो बड़ी संख्या में बढ़ती प्रवृत्ति दर्षाती है। यद्यपि 5 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की कार्य सहभागिता दर सन् 1991 के दौरान 5.4 प्रतिषत थी जो सन् 2001 के दौरान कम होकर 5.0 प्रतिषत हो गई। राष्ट्रीय निदर्ष सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organisation - NSSO) के हाल ही के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि सन् 2004/2005 में देष में बाल मजदूरों की संख्या लगभग 89 लाख है। इस पत्रक में की गई चर्चा के अनुसार, परिभाषा की समस्याओं के कारण बाल मजदूरों के बड़े अनुपात की गणना नहीं हो पाती है।

चित्र 10.3: श्रम की स्थितियों में बच्चे

क्रियाकलाप III

दिल्ली में प्रमुख समाचारपत्रों में 20 अप्रैल, 2012 को एक मामला प्रकाषित हुआ जिसमें 13 वर्षीय एक घरेलू नौकरानी को उसके मालिकों द्वारा बंद रखा जाता था और थोड़ा खाना दिया जाता था तथा वे बाहर छुट्टियाँ मनाते थे। बाद में अधिकारियों ने उसे बचाया।

इस लड़की के जीवन की कल्पना कीजिए और उसके जीवन पर एक अनुच्छेद लिखिए। एक घरेलू नौकरानी के रूप में उसके परिवार से दूर उसके काम करने के संभावित कारणों पर प्रकाष डालिए।

....

....

शहरी गरीबी : शहरी क्षेत्रों में गरीबी बहुत कठिन, जटिल और चुनौतियों से परिपूर्ण होती है और इन चुनौतियों के बीच बड़े होने का बच्चों तथा किशोरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जो उनके अधिकारों और कुषलता के लिए घातक होता है। बच्चों की आवष्यकताओं के लिए काम करने योग्य होने के लिए इन चुनौतियों को समझना अनिवार्य है। शहरी झुग्गी बस्तियाँ अत्यधिक खराब भौतिक स्थितियों में बनी होती हैं। इनमें निरपवाद रूप से भारी संख्या में लोग रहते हैं और एक सीमित क्षेत्र में असंख्य घर बनते जाते हैं। प्रायः इन्हें आधि ाकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होती और इन घरों में मूलभूत सुविधाएँ जैसे पेयजल, सफाई, बिजली और कूड़ा निपटान की व्यवस्थाएँ नहीं होतीं। जहाँ भी भारी संख्या में लोग रहते हैं और कूड़ा अधिक होता है वहाँ संदूषण, संक्रमण और बीमारी फैलने की संभावना अत्यधिक होती है। बच्चों के स्वास्थ्य को सुनिष्चित करने के लिए एक अनिवार्य कारक यह है कि उन्हें सुरक्षित और पर्याप्त जल की आपूर्ति उपलब्ध हो और सफाई का उचित प्रबंध हो। पानी की अत्यधिक कमी होना एक बड़ी समस्या है और इसके कारण स्वच्छ/स्थितियाँ बनाए रखना असंभव होता है जो कि स्थानिक रोगों (epidemic diseases) को रोकने के लिए नितांत आवष्यक है क्योंकि ये रोग बहुत से बच्चों के बार–बार बीमार होने और काल के ग्रास में समा जाने में भारी योगदान देते हैं। बंगलौर की एक स्लम बस्ती का उदाहरण इसी स्थिति को दर्षाता है। 60 लाख निवासियों में से आधे से ज्यादा लोग पानी के लिए सार्वजनिक नलों पर निर्भर हैं जिनके नल या पाइप अक्सर टूटे होते हैं और प्लेटफार्म क्षतिग्रस्त होते हैं। लगभग एक–तिहाई लोगों को पाइप से आने वाला पानी नहीं मिल पाता। 1,13,000 लोगों को शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं हैं और खुले में शौच जाना बहुत सामान्य बात है। ऐसी ही स्थितियाँ अन्य महानगरों में मलीन बस्तियों में पाई गई हैं।

इसके अलावा शहरी यातायात, अधबने घर, प्लास्टिक और बेकार वस्तुओं से बने खतरनाक आवास स्थल, लटकते हुए बिजली के तार, कूड़े के ढेर और सुरक्षित क्रीड़ास्थल का अभाव सभी मिलकर बच्चों के लिए उच्च स्तर के खतरे को जन्म देते हैं। चोट लगने का खतरा यहाँ और बढ़ जाता है क्योंकि माता–पिता व्यस्त रहते हैं और बच्चे अधिकतर अकेले ही छोड़ दिए जाते हैं। यह कहा जाता है कि निम्न और मध्यम आय वाले राष्ट्रों के अधिकांष शहरों में 25 से लेकर 50 प्रतिषत तक आबादी ग़ैर–कानूनी रूप से बनी बस्तियों में रहती है। विष्व भर के शहरी बच्चों और वयस्कों की अज्ञात संख्या, लेकिन निष्चय ही करोड़ों लोग, वस्तुतः बेघर हैं और सार्वजनिक स्थलों (पटरी, स्टेषन, पार्क, कब्रिस्तान) अथवा निर्माण स्थलों और कार्यस्थलों पर सोते हैं। सेंट्रल मुम्बई में लाखों लोग पटरियों पर रहते हैं जिनमें आधे बच्चे हैं, क्योंकि उनकी आय इतनी कम होती है कि वे सस्ते परिधीय क्षेत्रों में भी नहीं रह सकते। घर न होना, प्रमुख रूप से एक शहरी तथ्य है, जिसके लिए दुनिया भर के शहरों में कुछ हद तक भूमि का व्यावसायीकरण और आवास बाजार जिम्मेदार हैं (यूनीसेफ, 2002)।

शहरी बच्चे अन्य जिन खतरों से प्रभावित हो सकते हैं उनमें शामिल हैं समाज के असामाजिक और आपराधिक तत्वों के चंगुल में पड़ना जिसमें हिंसा, यौन उत्पीड़न और मादक पदार्थों का दुरुपयोग शामिल है लेकिन यह अपराधी गतिविधियों तक सीमित नहीं है। बच्चों की वयस्कों की दुनिया में शामिल होने और अपना बचपन खो देने की संभावना शहरी स्लम बस्तियों में अपेक्षाकृत अधिक है।

कोलकाता के एक “स्लम” में किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि विद्यालय जाने वाली आयु के 84 प्रतिषत बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे थे और इनमें से 49 प्रतिषत बच्चे घर से बाहर कूड़ा उठाने वाले, घरेलू सहायक अथवा चमड़ा उद्योग में काम करने वाले और बैटरी तोड़ने वाले मजदूरों के रूप में काम कर रहे थे (यूनीसेफ, 2002)।

इनके अतिरिक्त बच्चों के कई अन्य समूह हैं जिन्हें समझना अध्यापक के रूप में आपके लिए आवष्यक है। इनमें शामिल हैं, विशेष आवष्यकताओं वाले बच्चे, संस्थाओं के बच्चे, सड़क के घूमंतू बच्चे अथवा एचआईवी/एड्स से पीड़ित बच्चे। इन सभी समूहों को उनकी सभी जटिलताओं के साथ समझना जरूरी है जिससे कि अध्यापक उनके मित्र, विचारक और मार्गदर्षक की सही भूमिका निभाकर प्रभावी रूप से उनकी मदद कर सकें।

एक अध्यापक के रूप में, अन्य बातों के साथ–साथ इस समय मौजूद कार्यक्रमों और नीतियों को समझना बहुत जरूरी है।

कलंक से ग्रस्त बच्चे: उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त, समाज प्रायः उन परिवारों से संबंधित बच्चों के साथ भेदभाव करता है जो किसी तरह स्वीकृत "मानक" का भाग नहीं होते। ऐसे बच्चे एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित हो सकते हैं अथवा उन अभिभावकों के बालक जो एच. आई.वी. पोजीटिव हैं। कुछ अन्य लोग हैं जो कलंकग्रस्त हैं, वे सेक्स वर्कर्स के बच्चे हैं, वे बच्चे जो उन परिवारों से हैं जो ऐसी आजीविका अपनाते हैं जिसे सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है और प्रायः ऐसे बच्चों से भेदभाव किया जाता है। सामाजिक कलंक के कारण अध्यापकों और सहपाठियों द्वारा विद्यालयों में भेदभाव किया जाता है। इस प्रकार बच्चों की भावनाओं और आत्म प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

10.7 विद्यालय और उपेक्षित बच्चे

यह सुस्पष्ट है कि उपेक्षित और सामाजिक रूप से बहिष्कृत बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ समन्वय में कई ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है जो बच्चों को विद्यालयों में सहभागिता करने में सहायक होगी। अगले भाग में सरकार की कुछ प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। यह सभी जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट से ली गई हैं।

10.7.1 मुख्य नीतियाँ और कार्यक्रम

षिक्षा का अधिकार : षिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निषुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक षिक्षा का अधिकार है। अधिनियम की धारा 29 में कहा गया है कि पाठ्यचर्या और प्रक्रियाओं के मूल्यांकन से यह सुनिष्चित होना चाहिए कि भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के साथ अनुरूपता हो और इससे बच्चे के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित किया जाए। बच्चे में ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा का निर्माण किया जाए और बच्चे की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं को इतना प्रोत्साहित किया जाए कि उनकी अधिकतम क्षमता में वृद्धि हो सके। षिक्षा अधिकार अधिनियम में बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए स्पष्ट दिषानिर्देष उपलब्ध कराए गए हैं।

सर्व षिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan - SSA): सर्व षिक्षा अभियान एक समयबद्ध तरीके में प्रारंभिक षिक्षा के सार्वभौमीकरण (Universalization of Elementary Education - UEE) के उद्देष्य को प्राप्त करने के लिए भारत का प्रमुख (फ्लैगषिप) कार्यक्रम है जो भारत के संविधान के 86वें संषोधन के अनुसार है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःषुल्क और अनिवार्य षिक्षा को उनका मूल अधिकार बनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देष्य ऐसी बस्तियों में नए विद्यालय खोलना है जहाँ विद्यालयों की सुविधा नहीं है और विद्यमान विद्यालयी अवसंरचना (infrastructure) को

सुदृढ़ करना भी है इसमें अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल, अनुरक्षण, अनुदान और विद्यालय सुधार अनुदानों की व्यवस्था करना शामिल है।

मौजूदा विद्यालय जिनमें पर्याप्त संख्या में अध्यापक नहीं हैं वहाँ और अध्यापकों की भर्ती की जाती है और विद्यमान अध्यापकों की क्षमता को गहन प्रअध्ययन अनुदानों द्वारा सषक्त किया जाता है। जिनसे पठन–पाठन सामग्रियों को तैयार किया जाता है और किसी कलस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर शैक्षिक संसाधनों को सषक्त किया जाता है। सर्व षिक्षा अभियान का जीवन कौषलों सहित गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक षिक्षा उपलब्ध कराने का ध्येय है। सर्व षिक्षा अभियान में लड़कियों की ओर और विशेष आवष्यकताओं वाले बच्चों की षिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सर्व षिक्षा अभियान का लक्ष्य अंकीय अंतराल को भरने के लिए कम्प्यूटर षिक्षा प्रदान करना भी है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya - KGBV): यह योजना जुलाई 2004 में प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देष्य था प्रमुख रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लड़कियों के लिए उच्चतर प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करना। यह योजना देष के शैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों (ब्लॉकों) में कार्यान्वित की जा रही है जहाँ ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है और साक्षरता में लिंग अंतराल राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इस योजना में न्यूनतम 75 प्रतिषत आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लड़कियों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की होती हैं।

राष्ट्रीय प्रारंभिक स्तर बालिका षिक्षा कार्यक्रम (National Programme for Education of Girls at Elementary Level - NPEGEL): यह कार्यक्रम भारत सरकार का है जो उन बालिकाओं पर संकेन्द्रित हस्तक्षेप है जो विशेषकर "विद्यालय में नहीं हैं या जिन तक पहुँचना सबसे अधिक कठिन है।" यह कार्यक्रम जुलाई 2003 में शुरु किया गया था और यह कार्यक्रम सर्व षिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है जो सर्व षिक्षा अभियान के सामान्य अन्तःक्षेपों के माध्यम से लड़कियों की षिक्षा के लिए किए जाने वाले निवेषों के अतिरिक्त बालिकाओं की षिक्षा के संवर्धन के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक कलस्टर में "मॉडल विद्यालय" के विकास के लिए उपाय किया जाता है जिसमें समुदाय का अधिक गहन संघटन और विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन के लिए निरीक्षण किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कुछ प्रयत्न हैं, अध्यापकों को लिंग के संबंध में संवेदनषील बनाना, लिंग–संबंधी पठन सामग्री तैयार करना और आवष्यकता आधारित प्रोत्साहनों जैसे अनुरक्षण, स्टेषनरी, कार्यपुस्तकों और समानगणवेष का प्रावधान करना।

इस योजना को षैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों (ई.बी.बी.) में कार्यान्वित किया जा रहा है जहाँ ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है और लिंग अंतराल राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। इसके अलावा उन जिलों के खंडों में भी इसको कार्यान्वित किया जा रहा है जो षैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं परंतु वहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कम से कम 5 प्रतिषत लोग रहते हैं और उनकी महिलाओं की साक्षरता का स्तर 10 प्रतिषत से कम है। कुछ चुनिंदा शहरी मलीन बस्तियों में भी यह योजना कार्यान्वित की जाती है। 24 राज्यों में लगभग 3,272 शैक्षिक रूप से पिछड़े खंड इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

राष्ट्रीय प्राथमिक षिक्षा पोषाहार सहायता कार्यक्रम (NP - NSPE) (मध्याह्न भोजन योजना): भारत में दोपहर का भोजन विष्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। इससे देष भर में 12.65 लाख से भी अधिक विद्यालयों/ षिक्षा गारंटी केन्द्रों (EGC) में लगभग 12 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सितम्बर 2004 में यह योजना संषोधित की गई ताकि सरकारी विद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय विद्यालयों के कक्षा I से V के बच्चों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया बल्कि षिक्षा गारंटी विद्यालय और वैकल्पिक नवाचारी षिक्षा केन्द्रों (Alternative Innovative Education - AIE) में पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है। योजना के अधीन केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत सभी बच्चों को 300 कैलारी और 8–12 ग्राम प्रोटीनयुक्त पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। खाद्यान्नों की निषुल्क आपूर्ति के साथ–साथ इस संषोधित योजना द्वारा (क) पकाने की कीमत (प्रति विद्यालयी दिवस में 1 रुपये प्रति बच्चा) (ख) परिवहन सहायता पहले दी जाने वाली अधिकतम राषि से बढ़ाकर, यानि कि 50 रुपये प्रति क्विंटल से 100 रुपये प्रति क्विंटल (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए) और 75 रुपये प्रति क्विंटल अन्य राज्यों के लिए (ग) प्रबंधन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन लागतें, खाद्यान्नों की कीमत का 2 प्रतिषत, परिवहन सहायता और भोजन पकाने संबंधी सहायता, (घ) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान मध्याह्न भोजन के प्रावधान के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई।

उपर्युक्त इन प्रावधानों के अतिरिक्त कई अन्य प्रावधान भी उपलब्ध कराए जाते हैं जिनमें छात्रवृत्तियाँ, विशिष्ट समूहों से संबंधित बच्चों के लिए निःषुल्क गणवेष और पाठ्यपुस्तकें शामिल हैं।

बिहार में कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के यथार्थ जीवन अनुभवों के बारे में आगे पढ़िए। आप इस प्रत्येक मामले में उपयुक्त और सही समय पर किए गए अंतःक्षेप के प्रभाव का महत्व समझ पाएँगे।

बिहार के बच्चों के अधिकारों से संबंधित रिपोर्ट, 2008–09 से लिए गए बच्चों के कुछ वास्तविक अनुभव

रिपु कुमार

रिपु कुमार, नवादा जिला, अकबर पुर खंड पिरोऊता गाँव में रहने वाला एक 12 वर्षीय बालक है। उसके पिता उपेन्द्र झा और माता गीता देवी भूमिहीन मजदूर हैं। उसका पिता शराबी है। अतः अपनी जीविका के लिए रिपु कुमार और उसकी माँ मजदूरी करते हैं। रिपु कुमार टेम्पो और ट्रैकर में खलासी का काम करता है। वह सुबह 5 बजे से लेकर शाम 7–8 बजे तक काम करता है। रिपु कुमार ने भुवनेष्वर में राष्ट्रीय सम्मेलन में और राजगीर, बिहार में कार्यषाला बैंक में सहभागिता की। एक गैर–सरकारी संगठन के प्रयासों के बाद रिपु कुमार के पिता ने शराब छोड़ दी और अब वह एक मंदिर में पुजारी के रूप में काम कर रहा है। परंतु अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण रिपु कुमार अभी भी खलासी का काम कर रहा है। गैर–सरकारी संगठन के प्रयासों से वह कुछ दिनों के लिए विद्यालय गया, लेकिन फिर उसने विद्यालय जाना छोड़ दिया क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार से कोई मदद नहीं मिल सकती थी क्योंकि वह ब्राह्मण जाति का है। पूरे दिन कठिन परिश्रम करने के बाद वह 15–22 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है।

रामपुकार कुमार

रामपुकार 13 वर्षीय लड़का है और वह दोनों पैरो से अपंग है। वह बेगूसराय जिला, बाखरी खंड, गाँव मरवाचक का रहने वाला है। उसके माता–पिता निर्धन हैं अतः उसे मजदूरी करनी पड़ती है। गरीबी के कारण उसे कहीं से भी ट्राय साइकिल नहीं मिल सकी और अंत में 2007 में जब वह भुवनेष्वर में बाल सम्मेलन में भाग लेने गया तो सी.ए.सी.एल. के प्रयासों से उसे ट्राय–साइकिल मिली। वह सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बीड़ी बनाने का काम करता है और प्रतिदिन लगभग 15–18 रुपये कमाता है। वह पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक था परंतु गरीबी के कारण पढ़ नहीं सका। उसका कहना है कि उसे सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है और वह किसी सरकारी योजना के बारे में भी नहीं जानता।

मदन कुमार

मदन कुमार शेखपुरा जिले का 11 वर्षीय लड़का है उसके माता–पिता गरीब हैं इसलिए वह भी उनके साथ खेतों में और ईंट के भट्ठे में मजदूरी करता है। मदनकुमार पूरे दिन में 12 से 14 घंटे मजदूरी करता है और 20–25 रुपये प्रतिदिन कमाता है। वह भी षिक्षा से वंचित है और अपनी बाकी ज़िंदगी निरक्षर ही रहेगा।

सुबोध कुमार

सुबोध कुमार 9 वर्ष की आयु का लड़का है। वह नवादा, रोह खंड, भीखमपुर गाँव से है। माँ–बाप की गरीबी के कारण वह मजदूरी करता है और विद्यालय जाने के बजाय वह बीड़ी पत्ती के ठेकेदार के लिए मजदूरी करता है। इसके लिए उसे जंगल से बीड़ी की पत्तियाँ लानी पड़ती है और उन्हें सुखाकर बोरी में पैक करना पड़ता है और फिर उन बोरियों को ट्रक में लादना पड़ता है। कभी–कभी वह जंगल में लकड़ी काटने जाता है और फिर उन्हें बाजार में बेचता है। इस प्रकार काम करके वह 18–22 रुपये प्रतिदिन कमाता है। माँ–बाप की गरीबी के कारण उसे उनकी सहायता करनी होती है अतः वह पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं जा पाया।

सोनी कुमारी

सोनी कुमारी गया जिले के बोधगया खंड में बकरोर पंचायत के हरीहरपुर गाँव की एक 10 वर्षीय लड़की है। उसके पिता का नाम रामधन दास है। वह उस गाँव से है जहाँ 1999 से पहले भी सरकारी या निजी विद्यालय नहीं था। 1999 में गाँधी पीस फाउंडेषन सेंटर, बोधगया के प्रयासों से मुम्बई के श्री जी. आर. खैरानी ने गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय खोलने और चलाने में मदद की है। हरिहरपुर गाँव के सभी बच्चों को इस विद्यालय में प्रवेष लेने के लिए सोनी कुमारी ने प्रोत्साहित किया और उसने स्वयं भी इस विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेष लिया। उसमें गाँव के अन्य बच्चों को इस विद्यालय में प्रवेष लेने और पढ़ने के लिए जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभाई। अब यह गाँव जिसमें 100 प्रतिषत, अनुसूचित जाति के लोगों के 50 परिवार ही रहते हैं, बाल मजदूरी से पूरी तरह मुक्त है अर्थात यहाँ अब कोई बच्चा मजदूरी नहीं करता। अब यह विद्यालय विदेषी सहायता प्राप्त एक संस्था "विकल्प" द्वारा चलाया जाता है। इसलिए यहाँ कोई बच्चा मज़दूरी नहीं करता और सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले सोनी कुमारी मजदूरी करती थी पर अब वह कस्तूरबा बालिका विद्यालय, बसरही, बोधगया में पढ़ रही हैं।

10.8 अध्यापक की भूमिका

गरीब, उपेक्षित और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों से संबंधित बच्चों को षिक्षित करने में अध्यापक की बड़ी निर्णायक भूमिका होती है। इन बच्चों की आवष्यकताओं और समग्र विकास के लिए काम करने और सुनिष्चित रूप से उन्हें अध्ययन उपलब्ध कराने के लिए अध्यापक को बच्चों और कार्य को व्यापक तरीके से समझना अनिवार्य हो जाता है। समानता, समता और अधिकारों के बारे में सुनिष्चित करने पर मुख्य रूप से बल दिया जाना चाहिए। समानता का अर्थ है कि लिंग, वर्ग, जाति और धर्म पर ध्यान दिए बिना ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण षिक्षा और अध्ययन के अवसरों के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। समता की संकल्पना के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि उपेक्षित बच्चों को ऐसे योगदान और सहायता दी जाए जिससे कि वे समानता प्राप्त कर सके। उदाहरणार्थ लड़कियों को सुरक्षित परिवहन, छात्रवृत्ति, नेतृत्व, प्रषिक्षण अथवा योजक (सेतु) पाठ्यक्रमों (bridge courses) के अवसर देना, समता प्रदान करने के उपाय माने जाएँगे। अधिकारों की संकल्पना समानता और समता की संकल्पना से संबंधित है परंतु यह इन दोनों से आगे बढ़कर विष्वास और प्रतिबद्धता बन जाती है जो यह सुनिष्चित करता है कि कुछ विशिष्ट स्थितियाँ (षर्तों) बच्चों एवं सभी मनुष्यों को अवष्य उपलब्ध हों। एक अन्य पाठ्यक्रम में आप बच्चों के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सार यह है कि सभी बच्चों को इस योग्य बनाने में कि वे अपने अधिकारों को जान समझ सकें और शैक्षिक समानता प्राप्त कर सकें। विद्यालयों और अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

इस भाग में उन संभव तरीकों की छानबीन की गई है जिनसे अध्यापक सर्वाधिक उपेक्षित बच्चों को षिक्षा प्राप्त करने और सर्वांगीण विकास कर पाने में मदद कर सकें।

10.8.1 एक अकेले बच्चे अथवा बच्चों के समूह को समझना

हम पिछली इकाइयों में भी यह चर्चा कर चुके हैं कि बच्चों को समझना एक अच्छे अध्यापक के लिए अनिवार्य आवष्यकता है। जब आप बच्चों को अलग–अलग और समूहों में समझ पाते हैं केवल तभी सभी बच्चों की कुषलता और विकास के लिए उपयुक्त और विद्यालय परिवेष तैयार करना शुरु कर सकते हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बच्चों को जानने समझने के कई तरीके हैं जैसे अवलोकन, बच्चों के साथ बातचीत या साक्षात्कार, केस अध्ययन अथवा बच्चों का प्रोफाइल (संकलन) तैयार करना और फोकस (केन्द्रित) समूह चर्चाएँ (Focus Group Discussions – FGDs) आयोजित करना। विधियों की श्रेणी चुनिंदा मूल विधियों से ली जा सकती हैं परंतु प्रष्नों और केन्द्र को इस आधार पर बदला जा सकता है कि आप बच्चे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? उदाहरणार्थ, बच्चों के साथ बातचीत या साक्षात्कार में चर्चा के विषय को बदला जा सकता है। आपकी जाँच पड़ताल के विषय द्वारा यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि आप बच्चे में क्या देखते हैं? इस पाठ्यक्रम के अगले खंड में इस विषय पर आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। तथापि याद रखने योग्य एक आवष्यक बात यह है कि बच्चों को समझना एक सतत् और जारी रहने वाली प्रक्रिया है और बच्चों को विविध पहलुओं से समझना आवष्यक है ताकि आप विभिन्न जानकारियों को परस्पर संबंधित कर सकें और बच्चों के बारे में अधिक व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकें।

10.8.2 विद्यालय का परिवेष, आचार और अध्ययन

विविध अध्ययन विधियों से पढ़ने और योग्यताएँ प्रदान करने के अवसर, समानता और सुरक्षा सभी विद्यालयों के लिए आवष्यक है लेकिन कठिन संदर्भों से संबंधित अधिकांष

बच्चों के मामले में इनका विशेष महत्व हो जाता है। विद्यालय में सुरक्षित परिवेष और पहुँच हो यह सुनिष्चित करना अध्यापकों का एक अनिवार्य उत्तरदायित्व होता है। इसी तरह से बच्चे विभिन्न सामाजिक समूहों से विद्यालय आते हैं और यह अनिवार्य है कि हम ऐसा विद्यालय बनाएँ जो सभी बच्चों की आवष्यकताओं की पूर्ति करे और जहाँ सभी बच्चे समानता का और भली–भाँति षिक्षित किए जाने का अनुभव करें। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विद्यालय का आचार भेदभाव रहित हो और विद्यार्थियों में समानता का माहौल प्रोत्साहित करता हो। यह कार्य कुछ विशिष्ट स्वीकृत मानकों, मूल्यों और व्यवहारों को स्थापित करके किया जा सकता है जिससे प्रत्येक बच्चा यह अनुभव करे कि वह भी महत्व रखता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (2005) और षिक्षा का अधिकार अधिनियम कई तरह से यह स्पष्ट करते हैं कि एक अच्छे विद्यालय में क्या होना चाहिए परंतु चुनौती यह है कि विद्यालय स्तर पर यह कैसे सुनिष्चित किया जाए। खंड 3 की इकाइयों की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है कि उनसे आपको ऐसे वास्तविक उदाहरण मिलेंगे जो समानता, बालकेन्द्रित अध्ययन और समर्थक परिवेष के सिद्धांतों को दर्षाते हैं।

10.8.3 माता–पिता और समुदाय के साथ काम करना

आप यह तो स्पष्ट रूप से समझ ही चुके होंगे कि जाति, वर्ग और लिंग से संबंधित कुछ मुद्दे समुदाय में गहराई तक जड़ें जमाए हुए हैं। लड़कियों का कम आयु में विवाह, यह सोच कि लड़कियों को पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, अस्पृश्यता और अन्य ऐसी धारणाएँ इसके कुछ उदाहरण हैं। अध्यापक के लिए यह अनिवार्य है कि वह माता–पिता और समुदाय के सदस्यों के साथ घनिष्ठ रूप से काम करे और इन मुद्दों के संबंध में काम करे ताकि सभी बच्चे विद्यालय में सहभागिता कर सकें। मनोवृत्तियाँ और सांस्कृतिक प्रथाएँ आसानी से नहीं बदलते और इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं जिनमें चर्चा करना, अच्छे व्यवहारों के उदाहरण प्रस्तुत करना और आष्वासन शामिल हैं। अध्यापक को उन स्थानीय व्यवहारों (प्रचलनों) और मुद्दों की पहचान करनी होगी जो बच्चों को और खास तौर से लड़कियों एवं सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों को विद्यालय में भाग लेने से रोकते हैं। इन व्यवहारों को बदलने के लिए अध्यापक को सोच विचार करके कार्यनीति बनानी होगी। इस कार्यनीति में कई नियोजित गतिविधियाँ शामिल की जा सकती हैं जो व्यवहारों को बदल सकती हों। कुछ कार्यनीतियाँ जिनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा चुका है वे हैं समुदाय संघटन गतिविधियाँ जैसे नुक्कड़ नाटक, रैलियाँ, पोस्टर और नारे लिखना, गाँव में छोटे और बड़े समूहों में बैठकें करना, गाँव के प्रभावषाली लोगों की मदद लेना, अध्यापक–अभिभावक बैठकों में चर्चाएँ करना, घरों के दौरे करना/ परामर्ष भी सहायक होता है। इन गतिविधियों को कार्यान्वित करते समय स्थानीय अतिसंवेदनषीलताओं को ध्यान में रखना अनिवार्य है।

10.8.4 पात्रता और एकीकृत दृष्टिकोण

कठिन संदर्भों से संबंधित बच्चों को षिक्षा में सहभागिता कर सकने योग्य बनाने के लिए अंतःसंबंधित (परस्पर संबंधित) अंतःक्षेपों का होना आवष्यक है। गरीबी और सामाजिक बहिष्करण के मुद्दों पर अनेक स्तरों पर काम करने की जरूरत होती है जैसे व्यवस्थापरक, समुदाय, परिवार और व्यक्तिगत स्तर। यह भी आवष्यक हो सकता है कि विभिन्न विभागों और विभिन्न अंतःक्षेपों को एक साथ लाया जाए। उदाहरण के लिए, खराब स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दे से तुरंत निपटना चाहिए। इस प्रकार विद्यालय को स्थानीय पंचायत और अन्य नागरिक निकायों के साथ समन्वय करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि बच्चे और उसके परिवार को वे सभी अधिकार मिल सकें जिसके वे पात्र हैं।

10.9 सारांष

यह स्पष्ट है कि अध्ययन प्रक्रिया में सभी बच्चों और खास तौर से उपेक्षित बच्चों को शामिल करने के लिए विद्यालयों को कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इसके लिए माता–पिता, अध्यापक, समुदाय एवं विद्यालय को एक साथ मिलकर मूल मुद्दों की पहचान करके उन पर काम करना होगा। उपेक्षित बच्चों की युवा पीढ़ी को ऐसे कौषलों और क्षमताओं से युक्त बनाने में, जिसके वे अधिकारी हैं, आज असफल रह कर हम उन्हें समान बनाने के भावी अवसरों में सहभागिता करने से रोक रहे हैं।

इसके लिए यह अनिवार्य है कि वंचित बच्चों तक जो सेवाएँ पहुँचे उनकी रूपरेखा इस प्रकार बनाई जाए कि वे बच्चे के परिवेष में व्याप्त वंचन से निपटें। किसी विशिष्ट सेवा तक मात्र पहुँच उपलब्ध कराके किसी अधिकार की पूर्ति कराना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि सबसे पहले उस सेवा द्वारा समता के मुद्दों पर काम करना चाहिए और समानता सुनिष्चित करनी चाहिए। ऐसी अंतःक्षेपी कार्यनीतियाँ होनी चाहिए जो उपेक्षित समूहों के बच्चों को इस योग्य बना सकें कि वे उपेक्षित अथवा बहिष्कृत किए जाने से उत्पन्न बाधाओं को दूर कर सकें ताकि वे विद्यालयों में समान रूप से भाग ले सकें। अध्यापकों के लिए आवष्यक है कि ऐसे तरीके खोजें जिनसे लाभवंचित बच्चों के कार्य–निष्पादन में वृद्धि हो। इसके लिए उन्हें पठन–पाठन के ऐसे उपागमों की पुनःसंरचना करनी होगी जिनसे बच्चे अपनी गृह–आधारित परिसीमाओं पर काबू पा सकें। इसका अर्थ है कि उपेक्षित बच्चों के लिए षिक्षा के अवसर इस प्रकार सृजित हों कि वे उनके घरों पर मौजूद वंचन की क्षतिपूर्ति करें, न कि अर्थहीन सेवाओं द्वारा इसे मजाक में लें। यदि आपका सर्वाधिक उपेक्षित बच्चों के लिए षिक्षा के अवसरों में समानता की इच्छा है तो यह प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि इसके परिणामस्वरूप आयु और श्रेणी उपयुक्त षिक्षा और विकास सुनिष्चित हो सकें। प्रत्येक बच्चे को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह अपनी क्षमता को जान सके और विकसित हो रही अर्थव्यवस्था से प्राप्त होने वाले लाभ के रूप में अपने परिवार और समाज में योगदान दे सके।

संकेताक्षर

SC- Schedule Caste : अनुसूचित जाति

ST- Schedule Tribe : अनुसूचित जनजाति

OBC-Other Backward Class: अन्य पिछड़ा वर्ग

UNICEF- United Nations International Children's Emergency Fund : संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि

NSSO- National Sample Survey Organisation : राष्ट्रीय निदर्ष सर्वेक्षण संगठन
NPEGEL- National Programme for Education of Girls at Elementary Level : राष्ट्रीय प्रारंभिक स्तर बालिका षिक्षा कार्यक्रम

KGBV- Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

SSA- Sarva Shiksha Abhiyan : सर्व षिक्षा अभियान

EGS – Educational Guarantee School : षिक्षा गारंटी योजना

FGD- Focus Group Discussion: केन्द्रित समूह चर्चा

EBB- Educationally Backward Blocks : षैक्षिक रूप से पिछड़े खंड

RTE- Right To Education : षिक्षा का अधिकार

NCF- National Curriculum Framework : राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा

10.10 इकाई के अंत में अभ्यास

1) सभी श्रेणियों के उपेक्षित बच्चों तक पहुँचने में आपके विद्यालय द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण कीजिए।
2) उपेक्षित समूह और बालिका षिक्षा के लिए आपके क्षेत्र में प्राधिकारियों द्वारा किए गए उपायों का पता लगाइए।

10.11 बोध प्रष्नों के उत्तर

1) अपने अनुभव लिखिएः
2) नहीं। पहुँच के अतिरिक्त, उन्हें कुछ वित्तीय सहायता देनी चाहिए। उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए।
3) - वैकल्पिक एवं नवाचारी षिक्षा की योजना
   - ऑपरेषन ब्लैकबोर्ड की योजना
   - व्यक्तिगत षिक्षण प्रदान करना

10.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

गांधी पीस फाउन्डेषन सेन्टर (2009) बिहार चिल्ड्रन रिर्पोट ऑफ दियर राइट्स http://www.childrensrightsindia.org/pdf/Children-report-from-Bihar.pdf (UNICEF http://www.unicef.org/why/why_poverty.html) से लिया गया।

लियोनार्ड. पी. (1984) पर्सनालिटी एंड आइडियोलॉजी : टूवर्डस् ए मैटिरियलिस्ट अन्डरस्टैन्डिग ऑफ द इंडीविजुअल, लंदन : मैकमिलन http://www.compsy.org.uk/margibarc.pdf से लिया गया।

यूनिसेफ (2006). एक्स्क्लूडेड एंड इनबिजिबल . द स्टेट ऑफ वर्ल्डस् चिल्ड्रन, न्यूयार्क।

रामचन्द्रन . वी. (2009) टूबर्डस् जेन्डर इक्विलिटी इन एजूकेषन (एजूकेषन फॉर ऑल मिड टर्म असेसमेंट) न्यूपा, दिल्ली. (http://www.educationforallinindia.com/Towards-Gender-Equality-in-Education.pdf) से लिया गया।

मेनन जी, एवं आर्गजीज. ए. (2007) इस्यू पेपर–1 : रोल ऑफ एजूकेषन एंड डीमोविलाइजेषन ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, (http://www.equip123.net/docs/E1-DemobChildSoldiers-IP1.pdf) से लिया गया।